MINUTES OF THE IMPREST MONEY ALLOTMENT TO THE DEPARTMENTS

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 158 /का.प./बैठक/19, रायपुर, दिनांक 13/08/2019

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की 84 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 09/08/2019, दिन शुक्रवार, पूर्वान्ह 10:30 बजे विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. **प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव** – सदस्य
   आचार्य
   मानविकी अध्ययन विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
   (कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)

3. **श्री एस.के.चक्रवर्ती** – सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
   नवा रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

4. **श्री एस.एल.नायक** – सदस्य
   सचिव
   छ.ग.शासन,
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
   नया रायपुर (छ.ग.)

5. **श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट** – सदस्य
   विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
   छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
   नवा रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

6. **डॉ. अनिता सिंह** — सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

7. **डॉ. इंदु अनंत** — सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. **श्री संतराम नेताम** — सदस्य
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

2. उपाध्यक्ष — सदस्य
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

3. सचिव — सदस्य
छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

गणपूर्ति के अभाव में कार्यपरिषद् की बैठक स्थगित की गई तथा आधे घंटे के बाद स्थगित बैठक 11:00 बजे से अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र.1 **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 83 वीं बैठक की कार्यवाही–विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।**

निर्णय – कार्य परिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए 83वीं बैठक में लिये गये निर्णय के पालन प्रतिवेदन के बिंदु क्र. 27 पर 'नियमानुसार सभी निर्णय लिया गया' के स्थान पर ' सूचना ग्रहण किया गया' लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

कार्य परिषद के द्वारा 83 वीं बैठक के कार्यवाही–विवरण को संपुष्टि प्रदान की गयी तथा पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्र. 2 योजना मंडल की बैठक दिनांक 09/07/2019 की कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा सर्वसम्मिति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 3 भवन निर्माण समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार।

प्रस्ताव क्र. 13 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण देयक के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करें।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु पी.स्क्वायर सॉल्युशन प्रा.लि. मथुरा मुद्रण देयक रूपये 1,16,32,404/– (एक कराड़ सोलह लाख बत्तीस हजार चार सौ चार रू मात्र) तथा प्रज्ञा पब्लिकेशन प्रा.लि. मथुरा के मुद्रण देयक रूपये 14,01,015/– (चौदह लाख एक हजार पंद्रह रू मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

प्रस्ताव क्र. 14 विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों को अन्य विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं के लिए लागत मुल्य पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा विश्वविद्यालय के पाठ्यपुस्तकों को लागत मुल्य से 25 प्रतिशत अधिक मुल्य पर महाविद्यालयों तथा अन्य छात्रों को डाक खर्च लेते हुए उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव क्र. 15 विश्वविद्यालय ग्रंथालय के तात्कालिक कार्यवाही के लिए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के ग्रंथालय नियम अंगीकृत किये जाने संबंधी।

निर्णय – कार्य परिषद् के द्वारा पं. रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय रायपुर के ग्रंथालय नियम को अंगीकृत किया गया।

प्रस्ताव क्र. 16 ग्रंथालय के लिए शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु क्रय की गई पुस्तकों की राशि रूपये 3,48,406/–(रूपये तीन लाख अड़तालिस हजार चार सौ छः) भुगतान किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा भुगतान की स्वीकृति दी गई।

प्रस्ताव क्र. 17. विभागों को इम्प्रेस्ट राशि अग्रिम के स्वीकृति प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय – कार्य परिषद् के द्वारा इम्प्रेस्ट हेतु प्रस्तावित नियम को स्वीकृत किया गया तथा विभागों के लिए प्रस्तावित इम्प्रेस्ट किश्त राशि को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>पूरक प्रस्तावों पर निर्णय –</u>

प्रस्ताव क्र. 18 विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों को दिए जा रहे मासिक आकस्मिक व्यय (रूपये 1500/– प्रति माह) की मदों पर पुनर्विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले मासिक आकस्मिक व्यय में विद्युत व्यय को विलोपित करते हुए, अन्य व्यय को रू. 200 (रूपये दो सौ) से बढ़ाकर रू. 500 (रूपये पांच सौ) किया गया। केन्द्रों को प्रदान किये जा रहे मासिक आकस्मिक व्यय कि कुल राशि रूपये 1500 (रूपये एक हजार पांच सौ) में परिवर्तन न करते हुए यथावत् रखा गया।

3047
16/08/19

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिला

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 के अंतर्गत सन्2004 द्वारा स्थापित)
कोनी बिरकोना मार्ग,ग्राम बिरकोना,पोस्ट कोनी,जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन 495009
फोन नं. (07752 240712) पिन 495009
Website:www.pssou.ac.in, E-mail: registrar@pssou.ac.in

क्र...107/वित / 2019 बिलासपुर दिनाँक....14../..08../2019

प्रति,

समस्त विभाग प्रमुख/क्षेत्रीय कार्यालय
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय : इम्प्रेस्ट नियम की जानकारी संबंधी।

00

विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालयीन व्यय हेतु समय समय पर इम्प्रेस्ट लिया जाता है इस **इम्प्रेस्ट मनी** का सही व्यय किये जाने हेतु बिन्दुवार नियम बनाया गया है ।

कृपया संलग्न नियम का अवलोकन कर नियमानुसार "इम्प्रेस्ट मनी" का व्यय किया जाये।

संलग्नः
1 इम्प्रेस्ट नियम
2 विभागवार इम्प्रेस्ट की राशि

वित्ताधिकारी
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि.
छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.)

इम्प्रेस्ट नियम

स्थायी अग्रिम :- छ.ग. वित्तीय संहिता नियम 102 (vi) के अंतर्गत स्थायी अग्रिम दिये जाने का प्रयोजन है यह है कि अधिकारी जिसे वह दिया गया है अपनी जिम्मेदारी पर समस्त छोटे-मोटे व्यय हेतु उसका उपयोग कर सके यद्यपि यदाकदा उनका उपयोग नैमित्तिक प्रभार के अलावा भी होगा।

2. स्थायी अग्रिम के बैलेन्स राशि को प्रति वित्तीय वर्ष में 25 मार्च तक समर्पण करते हुए समायोजन कराना अनिवार्य होगा। राशि नवीन वित्तीय वर्ष में पुनः जारी की जा सकेगी।

3. स्थायी अग्रिम का समायोजन होने पर उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकेगी, दिये गए अग्रिम के 80% राशि व्यय किये जाने के बाद समायोजन/प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

4. स्थायी अग्रिम के व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

5. क्रय की गई वस्तु का विभागीय भंडार पंजी में प्रविष्टी किया जाना अनिवार्य होगा।

6. संबंधित अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी को वाउचर तथा बैलेंस राशि का हिसाब देने हेतु हर समय तैयार रहना आवश्यक होगा।

7. उक्त अग्रिम राशि का उपयोग क्रय की जाने वाली वस्तु की खरीदी भंडार विभाग में आपूर्ति न होने अथवा उसकी आपूर्ति में समय लगने वाला हो तब ही क्रय किया जा सकेगा। सामग्री उपलब्ध न होने पर, भंडार से वैसा टीप प्राप्त कर क्रय किया जा सकेगा।

8. 1000/- रूपये से अधिक की वस्तु के क्रय हेतु, विभागीय क्रय समिति के अनुमोदन से क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय किया जा सकेगा। विभागीय क्रय समिति में विभाग प्रमुख/प्रभारी के अलावा मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन से अन्य दो अधिकारी/शिक्षक सम्मिलित करते हुए कुल 3 सदस्य होंगे। विभाग में अधिकारी/शिक्षक नहीं होने की स्थिति में अन्य विभाग के अधिकारी/शिक्षक सम्मिलित किये जा सकेंगे।

कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 09.08.19 में प्रस्ताव क्र. 17 द्वारा स्वीकृत

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ बिलासपुर

बजट के आधार पर विभिन्न विभागों के लिये 'इम्प्रेस्ट' हेतु ली गई अनुमानित व्यय राशि का विवरण

मद से इंपेस्ट मनी व्यय हेतु ली जाने		विभागवार इम्प्रेस्ट की अनुमानित राशि		
				राशि लाख में
मद कं.	बजट मद	विभाग का नाम	प्रति किश्त अधिकतम	अधिकतम वार्षिक इम्प्रेस्ट की राशि
9/07.	आफिस व्यय / फर्नीचर	कुलपति सचिवालय	10000.00	1.00
9/24.	आफिस व्यय / आकस्मिक व्यय	कुलसचिव कार्यालय	10000.00	1.00
11/4.	परीक्षा / आकस्मिक व्यय	वित्त विभाग	15000.00	1.50
12/02.	गोपनीय / आकस्मिक व्यय	परीक्षा विभाग	5000.00	0.50
13/11.	अकादमिक / आकस्मिक व्यय	गोपनीय	25000.00	2.50
14	रिपेयर एव मेन्टेनेन्स	स्थापना / प्रशासन	3000.00	0.30
18	कम्प्यूटर सरवर	वाहन शाखा	30000.00	3.00
19/2.	क्षेत्रीय सेवा प्रभार	पाठ्यपुस्तक एवं वितरण विभाग	5000.00	0.50
		पाठ्यपुस्तक निर्माण	5000.00	0.50
		कम्प्यूटर सर्वर एवं मेंटेनैन्स	10000.00	1.00
		प्रेस विभाग	15000.00	1.50
		अकादमी विभाग	10000.00	1.00
		क्षेत्रीय सेवा प्रभार	5000.00	0.50
		विधि विभाग	2000.00	0.20
		सुचना का अधिकार	1000.00	0.10
		ग्रंथालय विभाग	5000.00	0.50
		भण्डार विभाग	20000.00	2.00
		यांत्रिकीय	30000.00	3.00
		अतिथीगृह	10000.00	1.00
		क्षेत्रीय कार्यालयः–		
		बिलासपुर	10000.00	1.00
		रायपुर	10000.00	1.00
		जगदलपुर	10000.00	1.00
		कांकेर	10000.00	1.00

	अम्बिकापुर	10000.00	1.00
	जगदलपुर	10000.00	1.00
	जशपुर	10000.00	1.00
	दुर्ग	10000.00	1.00
	शैक्षणिक विभागः–		
	मनोविज्ञान	5000.00	0.50
	योग विज्ञान प्रबंधन	5000.00	0.50
	हिन्दी	5000.00	0.50
	शिक्षा विभाग	10000.00	1.00
	कम्प्यूटर विभाग	10000.00	1.00
	पुस्तकालय विज्ञान	5000.00	0.50
	कुल योग .	336000.00	33.60

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ बिलासपुर

बजट के आधार पर विभिन्न विभागों के लिये 'इम्प्रेस्ट' हेतु ली गई अनुमानित व्यय राशि का विवरण

बजट मद से इंपेस्ट मनी व्यय हेतु ली जाने		विभागवार इम्प्रेस्ट की अनुमानित राशि		
				राशि लाख में
मद कं.	बजट मद	विभाग का नाम	प्रति किश्त अधिकतम	अधिकतम वार्षिक इम्प्रेस्ट की राशि
9/07.	आफिस व्यय/फर्नीचर	कुलपति सचिवालय	10000.00	1.00
9/24.	आफिस व्यय/आकस्मिक व्यय	कुलसचिव कार्यालय	10000.00	1.00
11/4.	परीक्षा/आकस्मिक व्यय	वित्त विभाग	15000.00	1.50
12/02.	गोपनीय/आकस्मिक व्यय	परीक्षा विभाग	5000.00	0.50
13/11.	अकादमिक/आकस्मिक व्यय	गोपनीय	25000.00	2.50
14	रिपेयर एव मेन्टेनेन्स	स्थापना/प्रशासन	3000.00	0.30
18	कम्प्यूटर सरवर	वाहन शाखा	30000.00	3.00
19/2.	क्षेत्रीय सेवा प्रभार	पाठ्यपुस्तक एवं वितरण विभाग	5000.00	0.50
		पाठ्यपुस्तक निर्माण	5000.00	0.50
		कम्प्यूटर सर्वर एवं मेंटेनैन्स	10000.00	1.00
		प्रेस विभाग	15000.00	1.50
		अकादमी विभाग	10000.00	1.00
		क्षेत्रीय सेवा प्रभार	5000.00	0.50
		विधि विभाग	2000.00	0.20
		सुचना का अधिकार	1000.00	0.10
		ग्रंथालय विभाग	5000.00	0.50
		भण्डार विभाग	20000.00	2.00
		यांत्रिकीय	30000.00	3.00
		अतिथीगृह	10000.00	1.00
		क्षेत्रीय कार्यालयः–		
		बिलासपुर	10000.00	1.00
		रायपुर	10000.00	1.00
		जगदलपुर	10000.00	1.00
		कांकेर	10000.00	1.00
		अम्बिकापुर	10000.00	1.00
		जगदलपुर	10000.00	1.00
		जशपुर	10000.00	1.00
		दुर्ग	10000.00	1.00
		शैक्षणिक विभागः–		
		मनोविज्ञान	5000.00	0.50
		योग विज्ञान प्रवंधन	5000.00	0.50
		हिन्दी	5000.00	0.50
		शिक्षा विभाग	10000.00	1.00